

**लोक शिक्षण संचालनालय  
महाराष्ट्र**

क्र / शि.क. / बी / सवि / 68 / 2010 / ११

भोगल, दिनांक 12/१/१०

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला सविलियन के कालम-5 तथा तालिका के कालम 6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वर्तमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन सविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है।


| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारों का पूर्ण विवरण                  |        |                 |  | कार्यरत एवं अंतर्जिला सविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक |                 | सविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|------|--|--------|-----------------|--|--|-----------------|-----------------------------------|
| 1    | 2  | 3      | 4               | 5  | 6  | 7               |                                   |
| 1    | श्रीमती मीना नागले वरि. अ (रसायन) शा.क.उ. भा.वि खरगापुर जिला-टीकमगढ़ | BD2629 | 23080177<br>705 | नगर पंचायत खरगापुर जिला टीकमगढ़ जा.क्र 738/1 दिनांक 06.11.2009 | नगरपालिका परिषद मुलताई जिला- बैतूल जा.क्र 1300 दि 09.11.09 शा.क.उ. भा.वि मुलताई                                    | 23350877<br>711 |                                   |

**सविलियन की शर्तें :-**

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में सविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग की उच्च श्रेणी तथा वर्तमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम 5 में वर्णित निकाय में सविलियन किया जाएगा।
- तालिका के कालम 2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को आवेदनपत्र दाखिल करने के बाद तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा सविलियन संबंधी प्रदायन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा प्रदायन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। सविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही सविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
- सविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित सविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
- वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के सविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद संबंधी शर्तों का ही इराका की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारों से कराने के उपरांत ही सविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में सविलियन होने एवं समेष शाला शिक्षक की संख्यात्मक संदर्भ में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही पद रिक्त होने की स्थिति में ही सविलियन मान्य किया जाएगा।
- तालिका के कालम 2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को विकलांगता के प्रमाणपत्र, जाव/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

*(Handwritten Signature)*


10. वर्ष 2001 की शर्ती नियमांक तहत नियुक्ति शर्तों का अन्वयन राज्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अधीन की गई है। अतः उक्त राविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाचक क्रमांक एन 10/2010 की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही अद्यतन प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निवृत्तियों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
12/3/10  
उप सचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल दिनांक 12/3/10

पृ क्र / शि.क. / बी / संवि / 68 / 2010 / 100  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा मंत्री जी / राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ पोषण।
2. प्रमुख सचिव, मंत्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित सकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
12/3/10  
उप सचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश